

12.2.24

वकील उभयपक्ष उपस्थित उपखण्ड अधिकारी महोदय अन्य कार्य में व्यस्त/मीटिंग/अवकाश पर है। पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 22.7.24 को पेश है।

22.4.24

वकील वादी उपस्थित । वकील जर्मी के अर्जागिण की तलबी हेतु कई दफा हिदायत दी गई लेकिन अर्जागिण की तलबी नहीं देने के कारण पत्रावली को तलबी के अभाव में O.R.-5 CPC के अन्तर्गत रूखाजि किया जाता है।

पत्रावली नम्बर 6 का कार्य की भावना बाद तकमील कार्रवाई दफतर है।

(रूखाजि गुप्ता)  
उपखण्ड अधिकारी एवं  
पट्टेन महापंचक कलेक्टर  
दिल्ली

